संख्या-12/2022/893/चौरासी-1-2022/001-651-2022

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट-माप अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 02 सितम्बर, 2022

विषय:- अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूॅजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-04-विधिक माप विज्ञान विभाग में वाहनों का क्रय-14-मोटर गाडियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू0-18.00 लाख (रूपये अठारह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-238/निविमावि0-लेखा-7(25)मांग/2022, दिनांक 14 जून, 2022 एवं 254/निविमावि0-लेखा-7(25)मांग/2022, दिनांक 27 जून, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूॅजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-04-विधिक माप विज्ञान विभाग में वाहनों का क्रय-14-मोटर गाडियों का क्रय में प्रावधानित धनराशि रू0-18.00 लाख(रूपये अठारह लाख मात्र) के सापेक्ष विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 को 02 नये बोलेरो(डीजल) वाहन वेरिएन्ट "BOLERO B4 BS6" का क्रय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करती है।

2- उक्त स्वीकृति निम्न लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) स्वीकृति धनराशि का आहरण कोषागार में बिल प्रस्तुत करके आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022,दिनांक 07-06-2022 तथा मितव्ययिता एवं क्रय प्रक्रिया के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 में वाहन के उपयोग के लिए अधिकृत अधिकारियों की अपरिहार्य आवश्यकता एवं न्यूनतम व्यय के अवधारणा को व्यवहारिक रूप से अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) जेम की दरों की अनुमन्यता एवं वैधता को प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी समस्त शासनादेशों/ नियमों/विनियमों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-21 के अधीन प्रस्तर-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-ई-7-84/दस-2022-23, दिनांक 25.08.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अशोक कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-12/2022/893/चौरासी-1-2022/001-651-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नियंत्रक,विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड़, प्रयागराज।
6- निदेशक वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/उपभोक्ता संरक्षण एंव बाट-माप अनुभाग-3
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in